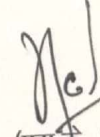


वचन पत्र

संस्थान श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड को जिला एवं तहसील नारायणपुर, वन परिक्षेत्र छोटेडोंगर अंतर्गत वन कक्ष क्रमांक 252, 267, 268 एवं 269 में कुल 57.00 हे. वनभूमि क्षेत्र पर खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा स्वीकृति हेतु 30 वर्ष की अवधि के लिए भारत सरकार खान मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम 1957 के तहत पूर्वानुमोदन प्रदाय किया गया है। संस्थान द्वारा खनिपट्टा क्षेत्र 57.00 हेक्ट. तथा पहुंच मार्ग 9.020 हेक्ट कुल 66.020 हेक्ट के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु कुल 66.020 नीजि भूमि वन मंडल बलरामपुर के अंतर्गत उपलब्ध करायी गई है जिसकी सूचना वनमंडलाधिकारी बलरामपुर के पत्र क्रमांक/मा.चि./2019/4532 बलरामपुर दिनांक 30/08/2019 आपके कार्यालय को दी गयी है एवं 66.020 हेक्ट. का DGPS सर्वे कराकर रिपोर्ट जमा की जा चुकी है। चूंकि पत्र में 76.916 हेक्ट का उपयुक्तता प्रमाण पत्र दिया गया एवं वृक्षारोपण प्रस्ताव भी 76.916 हेक्ट. का बनाया गया है जबकी संस्थान को 66.020 हेक्ट. ही वृक्षारोपण हेतु दिया जाना है। अतः संस्थान प्रथम चरण की स्वीकृति उपरांत 66.020 हेक्ट. नीजि भूमि ही सीमांकन उपरांत वनभूमि को हस्तांतरित करने हेतु वचनबद्ध है।



(एस.के. गोयल)

डायरेक्टर

श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड

CIN No. : U27106CT2002PLC015184

Regd. Office / Works : Vill. Borjhara, Urla-Guma Road, Urla Growth Center, Raipur 493 221 (C.G.)

Ph. : +91-771-4288019 / 29 / 39, Fax : +91-771-4288123

E-mail : info.bjr@goelgroup.co.in, commercial.bjr@goelgroup.co.in